न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 36/2020 अपील

मांगी पत्नी रामचन्द्र पुत्री किशन गाडरी, बनाम निवासी– जित्याखेडी, हाल निवासी भोली तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा
2. देबीलाल आत्मज किशन गाडरी, निवासी– जित्याखेडी, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. बरदी देवी पत्नी रामचन्द्र पुत्री किशन गाडरी, निवासी जित्याखेड़ी, हाल निवासी– भोली तहसील हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश भू प्रबन्ध (सैटलमेंट) विभाग बाबत् नामान्तरणकरण/ परिशोधन आदेश संख्या 34 दिनांकित 14/7/1969

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

1. श्री शिवसिंह चारण अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री रेखा अग्रवाल अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 02 व 03 की ओर से दौराने बहस अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 22.11.2022

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 तहसीलदार भीलवाडा के नामान्तरकरण संख्या 34 दिनांक 14.07.1969 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील मेमों मे वर्णित सजरे के अनुसार अपीलार्थीया के दादा स्व. हीरा लाल है तथा किशन गाडरी अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थीगण देबी लाल एवं बरदी देवी के स्वर्गीय पिता है तथा अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थी देबी लाल एवं बरदी देवी के पिता किशन एवं दादा हीरा लाल का देहान्त हो चुका है। इस प्रकार अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थी संख्या 02 देवी लाल एवं प्रत्यर्थी संख्या 03 बरदी देवी स्व. किशन गाडरी के जायदा संताने होकर उनकी पैतृक आराजियात के बराबर के वारिसान है। उक्त आराजी अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 के पिता किशन के नाम से दर्ज थी। किशन के स्वर्गवास के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने मिली भगत कर अपने नाम पर दर्ज करवा ली जबकि अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 03 के नाम को नजरअन्दाज कर दिया। जबकि उक्त जायदाद पुश्तैनी होकर अपीलार्थीया व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 03 का प्रत्येक का, 1/3, 1/3 हक हिस्सा निहित है। अपीलार्थीया एवं रेस्पोइन्ट संख्या 02 लगायत 03 आपस मे भाई बहिन होकर स्व किशन गाडरी की जायन्दा संताने है इस कारण स्व. किशन गाडरी की समस्त पैतृक जायदाद में रेस्पोन्ट संख्या 02 के समान ही अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थी संख्या 03 का भी बराबर का हक हिस्सा निहित है किन्तु उक्त तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना गौर किये जो

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

नामान्तरणकरण खोले जाने का आदेश पारित फरमाया है वो गलत होकर अपास्त किये जाने योग्य है। नामानरणकरण निर्णित किये जाने से पूर्व हितबद्ध पक्षकारान् को कोई सूचनापत्र जारी नही किया गया और बिना अपीलार्थीयागण को सूचना दिये ही स्वीकृत कर दिया गया। जिससे अपीलार्थी या अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं रख पायी। दिनांक 14/11/14 को अपीलार्थीया ने विवादित नामान्तरणकरण की नकले प्राप्त करने पर अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरणकरण आदेश की प्रथम बार जानकारी हुई और जानकारी की दिनांक से यह अपील अन्दर अवधि पेश है। लेकिन आदेश की दिनांक 14/7/69 से अपील पेश करने में हुई देरी के समय को कण्डौन फरमाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक हैं इस हेतु धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र सादर पेश है। अतः निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरणकरण संख्या 34 दिनांकित 14/7/69 को निरस्त फरमा अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 03 के नाम पर विवादित आराजियात का इन्तकाल नये सिरे से फैसल फरमाया जावें।

प्रस्तुत अपील न्यायालय में पंजीबद्ध की जाकर विपक्षीगणों को सम्मन नोटिस जारी किये गये। दौराने बहस विपक्षी संख्या 02 व 03 के अधिवक्ता उपस्थित नही हुये। प्रकरण में अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

सर्वप्रथम अपील मेमों में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया जा रहा है। अपीलार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है। न्यायहित में नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखा जाकर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते है।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त जायदाद पुश्तैनी होकर अपीलार्थीया व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 03 का प्रत्येक का, 1/3, 1/3 हक हिस्सा निहित है। अपीलार्थीया एवं रेस्पोइन्ट संख्या 02 लगायत 03 आपस मे भाई बहिन होकर स्व किशन गाडरी की जायन्दा संताने है इस कारण स्व. किशन गाडरी की समस्त पैतृक जायदाद में रेस्पोन्ट संख्या 02 के समान ही अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थी संख्या 03 का भी बराबर का हक हिस्सा निहित है। निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरणकरण संख्या

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

34 दिनांकित 14/7/69 को निरस्त फरमा अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 03 के नाम पर विवादित आराजियात का इन्तकाल नये सिरे से फैसल फरमाया जावें।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवजात का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा ने प्रश्नगत प्रकरण में किशन गाडरी के सम्पूर्ण वारिसान की जांच किये बिना एवं अपीलार्थी को सुने बिना ही परिशोधन आदेश संख्या 34 दिनांकित 14.07.1969 पारित किया गया, जो विधिनुरूप नही होकर त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता हैं।

अतः नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त के मध्येनजर अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में एक बार सुनवायी का मौका दिया जाकर प्रकरण में अपीलार्थी को अपना पक्ष रखकर पूर्ण अवसर प्रदान कर तथा समस्त दस्तावेजात एवं वारिसान की सम्पूर्ण जांच कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अजसिरे निर्णय पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त प्रतीत होता हैं। उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाती हैं। तहसीलदार भीलवाडा द्वारा ग्राम जित्याखेडी तहसील व जिला भीलवाडा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 34 दिनांकित 14.07.1969 को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण रिमाण्ड कर तहसीलदार भीलवाडा को निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में अपीलार्थीगण की सुनवायी की जाकर तथा समस्त दस्तावेजात एवं विधिक वारिसान की जांच कर अजसिरे निर्णय पारित किया जावे। अपीलार्थीगण को आवश्यक रूप से पाबन्द किया जाता हैं कि वह इस प्रकरण में अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में रखने हेतु संबंधित समस्त दस्तावेजात के साथ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा के यहां दिनांक 15.12.2022 को उपस्थित होवें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा